दूरभाष–0121–2664726
E-Mail cfmeerut@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ–250001)

पत्रांक 1084 / 14-1 दिनांक, मेरठ 12 , सितम्बर, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषयः– जनपद अमरोहा में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड हापुड़ वन क्षेत्र में 0.00 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं अमरोहा द्वारा 220 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 06 वृक्षों तथा गैर वन भूमि पर स्थित 12 वृक्ष अर्थात कुल 18 वृक्षों के पातन/ट्रांसप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या FP/UP/Trans/148929/2021.

सन्दर्भः– 1–उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 247/81–2–2022–800(244)/2022।
2–आपका पत्रांक 257/11सी–FP/UP/Trans/148929.
3–प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 1038/14–1, दिनांक 06.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 247/81–2–2022–800(244)/2022 से लगाई गयी आपत्ति के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड ने अपने संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि विषयांकित प्रकरण में प्रयोग होने वाली संरक्षित वन भूमि (हस्तिनापुर वन्य जीव विहार) जनपद अमरोहा की सीमा के अन्तर्गत का क्षेत्रफल है। प्रश्नगत प्रस्ताव में हापुड़ वन प्रभाग की कोई भी आरक्षित/संरक्षित वन भूमि का प्रयोग नही हो रहा है। प्रकरण में हापुड़ वन प्रभाग के अन्तर्गत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत गैर वन भूमि यथा कृषकों की भूमि, अन्य राजकीय भूमि का प्रयोग प्रस्तावित है। प्रकरण में अमरोहा वन प्रभाग आख्या वांछित है।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 1084 / दिनांकित

1–प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–प्रतिलिपि अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

o/c

Scanned with CamScanner